[2024] 2 एस.सी.आर. 217 : 2024 आईएनएससी 97

सुशील कुमार पांडे एवं अन्य

बनाम

झारखंड उच्च न्यायालय एवं अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 753/2023)

01 फरवरी 2024

[अनिरुद्ध बोस एवं संजय कुमार, जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या झारखंड राज्य में जिला न्यायाधीश संवर्ग के पदों पर चयन के लिए व्यक्तिगत उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद चयन मानदंडों में बदलाव करना उचित है।

हेडनोट्स

झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001 - rr.14, 18, 21 - झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2017 - झारखंड राज्य में जिला न्यायाधीश संवर्ग के पदों पर चयन - व्यक्तिगत उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद चयन मानदंडों में परिवर्तन - वैधानिक नियमों से हटकर उच्च कुल अंक निर्धारित किया गया - पूर्ण न्यायालय संकल्प के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के पदों पर अनुशंसित होने के लिए योग्यता मानदंड के रूप में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक (मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का संयोजन) सुरक्षित करने की शुरुआत की - अस्वीकार्यता:

निर्णय: नियम 18 के तहत कट-ऑफ अंक निर्धारित करने का कार्य उच्च न्यायालय में निहित था, लेकिन यह परीक्षा शुरू होने से पहले किया जाना था - चयन सूची बनाने के लिए नियम 21 में निहित शर्तों का उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा विवादित प्रस्ताव को अपनाने में उल्लंघन किया गया - यह दलील कि नियमों या विनियमों के तहत उच्च कुल अंक लागू करना वर्जित नहीं था, स्वीकार नहीं की गई - "कुल" शब्द का अर्थ दो या अधिक प्रक्रियाओं का संयोजन है और यदि कुल अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया लागू नियमों में निर्धारित की गई है,

तो कुल अंक बनाने के तरीके में परिवर्तन करने के लिए अलग मानदंड नहीं बनाया जा सकता है - यदि उच्च न्यायालय को व्यक्तिगत उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद चयन मानदंड बदलने की अनुमति दी जाती है, तो यह निर्धारित नियमों में परिवर्तन माना जाएगा - उच्च न्यायालय प्रशासन की दलील कि नियम 14 उन्हें चयन प्रक्रिया समाप्त होने और अंक घोषित होने के बाद चयन मानदंड बदलने की अनुमति देता है, नियमों का उचित विवरण नहीं है। उक्त प्रावधान - नियम 14 उच्च न्यायालय प्रशासन को विशेष मामलों में किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता और पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार देता है, विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज मंगाकर - उच्च न्यायालय प्रशासन 2001 के नियमों में निर्दिष्ट चयन मानदंडों से विचलन करने के लिए व्यापक निर्णय लेने के लिए इस नियम की सहायता नहीं ले सकता - उच्च न्यायालय उन अभ्यर्थियों के लिए अनुशंसा कर सकता है जो योग्यता या चयन सूची के अनुसार सफल हुए थे, विद्यमान अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए पूर्ण न्यायालय संकल्प को लागू किए बिना, जिसके तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करना आवश्यक है - झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय संकल्प का वह भाग जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि केवल वे अभ्यर्थी ही जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होंगे जिन्होंने कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, को रद्द किया जाता है [पैरा 20, 22-24]

सेवा न्यायशास्त्र - बीच में नियम में परिवर्तन - चर्चा की गई।

उद्धृत केस कानून

शिवनंदन सी.टी. एवं अन्य बनाम केरल उच्च न्यायालय, [2023] 11 एससीआर 674: (2023) आईएनएससी 709 - अनुसरण किया गया।

हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह एवं अन्य, [1974] 1 एससीआर 165: (1974) 3 एससीसी 220;

राम शरण मौर्य एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, [2020] 12 एससीआर 466: (2021) 15 एससीसी 401 - प्रतिष्ठित।

के.मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, [2008] 2 एससीआर 1025: (2008) 3 एससीसी 512;

हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, [2008] 5 एससीआर 1066: (2008) 7 एससीसी 11 - पर भरोसा किया गया।

तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य: (2013) 4 एससीसी 540 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001; झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियमन, 2017; भारत का संविधान।

कीवर्ड की सूची

जिला न्यायाधीश संवर्ग; चयन मानदंड में परिवर्तन; उच्च कुल अंक; योग्यता मानदंड; कट-ऑफ अंक; चयन मानदंड से विचलन

मामला उत्पन्न होने से

सिविल मूल अधिकार क्षेत्र: रिट याचिका (सिविल) संख्या 753/2023 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) रिट याचिका (सिविल) संख्या 921/2023 के साथ

पार्टियों में उपस्थिति

अरुणाभ चौधरी, सीनियर अधिवक्ता/ए.ए.जी., विनय नवारे, के कर्पागविनगगम, दुष्यन्त दवे, सुश्री. मीनाक्षी अरोड़ा,जयंत के. सूद, जयदीप गुप्ता, सीनियर. अधिवक्ता, महेश ठाकुर, सुश्री. नेहा सिंह, श्रीमती। गीतांजलि बेदी, रणविजय सिंह चंदेल, शिवम शर्मा, एमएस। शिवानी, पृथ्वी पाल, संजय कुमार यादव, मनोज जैन, कु. किरण भारद्वाज, सी अरविंद, के वी मथु कुमार, सुश्री। गीता वर्मा, सैयद इम्तियाज, उस्मान खान, कु. मधुरिमा सारंगी, नईम इलियास, तौसीफ अहमद डार, दानिश जुबैर खान, डा॰. लोकेन्द्र मलिक, सूर्य नाथ पांडे, दुर्गा दत्त, रोहित प्रियदर्शी, उपेन्द्र नारायण मिश्र, सत्येन्द्र कुमार मिश्र, कु. राशि वर्मा, सोमेश कुमार दुबे, कार्तिक जसरा, प्रणित स्टेफानो, शिवम नागपाल, कु. सुस्मिता लाल, कु. रचिता चावला, कामाख्या श्रीवास्तव, राजीव शंकर द्विवेदी, कु. तूलिका मुखर्जी, कर्मा दोर्जी, देचेन डब्ल्यू लाचुंगपा, बीनू शर्मा, वेंकट नारायण, सलाह. उपस्थित पक्षों के लिए

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

फैसला

1. इन दो रिट याचिकाओं में, हम झारखंड राज्य में वर्ष 2022 में शुरू की गई जिला न्यायाधीश संवर्ग की चयन प्रक्रिया की वैधता को संबोधित करना चाहते हैं। उक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए 24 मार्च, 2022 को विज्ञापन संख्या 01/2022 प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन में निर्दिष्ट रिक्तियां बाईस थीं। उक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2001 ('2001 नियम') द्वारा निर्देशित है। वर्ष 2017 में, इस उद्देश्य के लिए 2001 नियम के नियम 11 और नियम 30 के अनुसार झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) विनियमन, 2017 ("2017 विनियमन") तैयार किया गया था।
2. विज्ञापन में निर्दिष्ट कट-ऑफ अंकों के आधार पर और 2001 के नियमों के अनुसार, 66 व्यक्तियों की चयन सूची प्रकाशित की गई, 1:3 अनुपात लागू करते हुए क्योंकि बाईस प्रकाशित रिक्तियां थीं।
3. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासनिक पक्ष में नियुक्ति के लिए केवल तेरह उम्मीदवारों की सिफारिश की, जबकि घोषित रिक्तियाँ बाईस थीं। 23.03.2023 को आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लिया गया। हम विज्ञापन से प्रासंगिक अंशों के साथ इस निर्णय के बाद के पैराग्राफ में 2001 के नियमों से प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करेंगे। विज्ञापन में, विषय विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक अंश 'पात्रता और शर्तें' शीर्षक के अंतर्गत निहित थे। चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्दिष्ट किए गए थे:-

> "प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा
>
> (1) प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे:-
>
> i. सामान्य अंग्रेजी
>
> ii. सामान्य ज्ञान (करंट अफेयर्स सहित)
>
> iii. सी.पी.सी.
>
> iv. सीआर.पी.सी.
>
> v. साक्ष्य अधिनियम
>
> vi. अनुबंध का कानून

vii. आईपीसी

(2) प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी

(3) प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी।

(4) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक (माइनस वन) का नकारात्मक अंकन होगा।

<u>मुख्य</u> <u>परीक्षा</u>

(1) मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे:-

पेपर-I

भाग-I भाषा (अंग्रेजी) 50 अंक

(निबंध, संक्षेप, पूर्वसर्ग और समझ आदि)

भाग-II

(i) प्रक्रियात्मक कानून (Cr.P.C. और C.P.C)

(ii) साक्ष्य का कानून

(iii) सीमा का कानून 50 अंक

पेपर-II

मूल कानून 100 अंक

(i) भारत का संविधान

(ii) भारतीय दंड संहिता

(iii) अनुबंध का कानून

(iv) माल की बिक्री अधिनियम

(v) संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम

(vi) परक्राम्य लिखत अधिनियम

(vii) मोटर वाहन दुर्घटना दावे से संबंधित कानून

(viii) न्यायशास्त्र। (ix) संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम

(x) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम

(xi) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो)

(xii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (xiii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम

(xiv) विद्युत अधिनियम

(xv) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम)

(2) प्रत्येक पेपर के लिए तीन-तीन घंटे की अवधि की दो बैठकों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

मौखिक परीक्षा

(1) मौखिक परीक्षा 40 अंकों की होगी।

(2) मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा और तदनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, चाहे उसने मुख्य परीक्षा में कितने भी अंक प्राप्त किए हों, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह मौखिक परीक्षा में कुल 40 में से 20 से कम अंक प्राप्त करता है।

नोट:- प्रत्येक दिव्यांग अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का "प्रतिपूरक समय" दिया जाएगा।

4 जहाँ तक इन कार्यवाहियों में शामिल चयन प्रक्रिया का सवाल है, कोई प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, लेकिन यह प्रश्न हमारे सामने विवाद का विषय नहीं है। पेपर-I और पेपर-II से युक्त मुख्य परीक्षा में कुल 200 अंक थे। विज्ञापन के अनुसार, मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंक 40 थे, जैसा कि पिछले पैराग्राफ से पता चलता है। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के बावजूद उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा में कुल 40 में से कम से कम 20 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

5 2001 के नियमों के अनुसार, प्रासंगिक प्रावधान नियम 14, 18, 21 और 22 हैं। ये नियम इस प्रकार हैं:-

"14. उपर्युक्त नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, उच्च न्यायालय को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसके बाद उम्मीदवार से उसकी उपयुक्तता और/या पात्रता से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कोई भी ऐसा अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने या कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसे उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।

18. परीक्षा शुरू होने से पहले, उच्च न्यायालय प्रारंभिक लिखित प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक और उसके बाद मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित

कर सकता है। ऐसे न्यूनतम अर्हक अंकों के आधार पर, उच्च न्यायालय लिखित परीक्षा में योग्यता के क्रम में, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर, जैसा वह उचित रूप से तय करे, अभ्यर्थियों की ऐसी संख्या को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाने का निर्णय ले सकता है: बशर्ते कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक कुल योग के 45% से अधिक नहीं हो सकते: बशर्ते कि न्यूनतम अर्हक अंकों के साथ-साथ योग्यता के क्रम के आधार पर किसी विशेष अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण करते समय, समग्र रूप से परीक्षा में प्राप्त कुल अंक तथा किसी व्यक्तिगत पेपर में प्राप्त अंक, दोनों को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो कि इस उद्देश्य के लिए बनाए जाने वाले विनियमों में उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी किए जाने वाले किसी भी दिशा-निर्देश पर निर्भर करेगा।

21. कोई भी अभ्यर्थी, चाहे उसने प्रारंभिक लिखित प्रवेश परीक्षा और/या मुख्य लिखित परीक्षा में कितने भी अंक प्राप्त किए हों, तब तक नियुक्ति के योग्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त नहीं कर लेता। मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों के नामों को सारणीबद्ध किया जाएगा और योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल मिलाकर समान अंक प्राप्त करते हैं, तो क्रम मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों के मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक भी समान पाए जाते हैं, तो क्रम प्रारंभिक लिखित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार तय किया जाएगा। योग्यता के क्रम में व्यवस्थित अभ्यर्थियों की सूची में से उच्च न्यायालय एक चयन सूची तैयार करेगा और इसे विनियमों में निर्धारित तरीके से विधिवत अधिसूचित करेगा। ऐसी चयन सूची अधिसूचित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

22. उक्त चयन सूची में से, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या या भरे जाने की आवश्यकता के आधार पर, उच्च न्यायालय सरकार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करेगा।

6. उक्त नियम के नियम 21 और 2017 विनियमन के पैराग्राफ 12 की सामग्री के बीच निर्धारित न्यूनतम अंकों के संबंध में एक असंगति प्रतीत होती है। विनियमन के उक्त पैराग्राफ में यह प्रावधान है:-

> XX"(12) कोई भी अभ्यर्थी, मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के बावजूद, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह मौखिक परीक्षा में कुल 40 में से 20 से कम अंक प्राप्त करता है।"

7. हमने पहले ही 2001 के नियमों के नियम 21 का हवाला दिया है, जिसमें मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक योग्यता मानदंड के रूप में निर्धारित किए गए हैं। लेकिन यह प्रश्न वर्तमान दो रिट याचिकाओं में भी नहीं उठता है क्योंकि हमारे सामने किसी भी पक्ष ने इस बिंदु को नहीं उठाया है। हम 2017 के विनियमन के पैराग्राफ 12 के प्रावधानों के अनुसार चलना अधिक सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि विज्ञापन में मौखिक परीक्षा में कुल 40 में से न्यूनतम 20 अंक निर्धारित किए गए थे।

8. स्वीकृत स्थिति यह है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए जाने से छूटे हुए 9 उम्मीदवारों को 2001 के नियमों के नियम 21 के अनुसार चयन सूची में जगह मिली थी।

9. रिट याचिका (सिविल) संख्या 753/2023 में, कुल सात याचिकाकर्ताओं ने पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव द्वारा 9 उम्मीदवारों को बाहर किए जाने पर सवाल उठाया है। उक्त संकल्प में उक्त पदों पर अनुशंसित होने के लिए योग्यता मानदंड के रूप में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक (मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का संयोजन) प्राप्त करना शामिल है। 23 मार्च, 2023 को आयोजित पूर्ण न्यायालय बैठक के एजेंडा संख्या 1 के विरुद्ध यह संकल्प दर्ज करता है:-

क्रं सं०	**कार्यसूची**	**संकल्प**
1.	विज्ञापन संख्या 01/2022/Apptt के विरुद्ध अंतिम परिणाम के संबंध में जिला न्यायाधीश [यू / आर 4 (ए) बार से सीधे] की भर्ती	विचार किया गया। पूर्ण न्यायालय ने मौखिक परीक्षा में शामिल हुए 63 अभ्यर्थियों की अंतिम परिणाम सूची को अनुमोदित करने का संकल्प लिया (सूची इस संकल्प के साथ संलग्न है तथा ध्वज "X" पर अंकित है)

	प्रक्रिया के मामले पर विचार करें	इसके अतिरिक्त, पूर्ण न्यायालय ने पाया कि क्रम संख्या 7 और 8 के अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने पर यह पता चला कि क्रम संख्या 8 के अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। अतः झारखंड उच्च न्यायिक (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001 के नियम 21 के अनुसार क्रम संख्या 8 के अभ्यर्थी को उच्च स्थान/रैंक दिया जाता है।इसके अतिरिक्त, समुचित विचार-विमर्श के पश्चात, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर निहित उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए तथा उच्च न्यायिक सेवाओं के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए, पूर्ण न्यायालय ने संकल्प लिया है कि केवल वे अभ्यर्थी ही जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे, जिन्होंने कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। झारखंड उच्च न्यायिक (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001 के नियम 23 एवं 24 के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता से संबंधित जांच/जांच पूरी करने के पश्चात जिला न्यायाधीश के पद पर उनकी नियुक्ति के लिए आवश्यक अधिसूचना/सूचनाएं जारी करने के लिए निम्नलिखित 13 शीर्ष (योग्यता के आधार पर) अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा राज्य सरकार को करने का संकल्प लिया गया है

क्रं सं०	रोल नं.	नाम
1	10369	नमिता चंद्रा
2	10956	स्वेता ढींगरा
3	10343	पारस कुमार सिन्हा
4	10388	कुमार साकेत
5	10519	शिवनाथ त्रिपाठी
6	10218	भूपेश कुमार
7	11577	आयशा खान
8	10294	भानु प्रताप सिंह
9	10592	नीति कुमार
10	10371	प्राची मिश्रा
11	10109	पवन कुमार
12	11061	राजेश कुमार बग्गा
13	10587	नरंजन सिंह
रजिस्ट्रार जनरल को उपर्युक्त 13 सफल उम्मीदवारों के नाम इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया जाता है।		

10. यह संकल्प झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के उत्तर में प्रकट किया गया है, जिसकी पुष्टि उस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने की है।

11. 'पूर्णेन्दु शरण' द्वारा दायर आई.ए. संख्या 173928/2023 और 'आशुतोष कुमार पांडेय' द्वारा दायर आई.ए. संख्या 10383/2024 के रूप में दो अभियोग आवेदन पंजीकृत हैं, दोनों ही पूर्ण न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से व्यथित हैं।

12. अभ्यर्थियों के एक अन्य समूह ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 921/2023 के रूप में पंजीकृत दूसरी रिट याचिका दायर की है। इस रिट याचिका में कुल मिलाकर पांच अभ्यर्थियों ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 753/2023 में मांगी गई राहत के समान ही राहत मांगी है।

13. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व हमारे समक्ष श्री दुष्यंत दवे, श्री विनय नवरे और श्री जयंत के. सूद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया गया है, जबकि झारखंड उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व श्री जयदीप गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया गया है। झारखंड राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव शंकर द्विवेदी राज्य की

ओर से उपस्थित हुए हैं। राज्य ने हमारे समक्ष कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। राज्य द्वारा प्रति-शपथपत्र दायर किया गया है, जिसमें भी उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायालय बैठक में प्रस्ताव की वैधता पर कोई निश्चित रुख नहीं अपनाया गया है। हालांकि राज्य द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि 2001 के नियमों के नियम 21 में कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। यह दलील वर्तमान कार्यवाही के दायरे में नहीं आती है।

14. याचिकाकर्ताओं का मुख्य मामला दो बिंदुओं पर टिका है। पहला यह है कि प्रशासनिक पक्ष पर पूर्ण न्यायालय का निर्णय भर्ती नियमों, विनियमों और विज्ञापन में निहित शर्तों के विपरीत है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन का दूसरा बिंदु यह है कि किसी भी स्थिति में, प्रत्येक उम्मीदवार के प्रदर्शन के बाद और परीक्षा के दो रूपों में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा होने के बाद, उच्च न्यायालय प्रशासन के लिए नए कट-ऑफ अंक पेश करना अनुचित था। इस बिंदु पर, श्री दवे द्वारा जिस प्राधिकार पर भरोसा किया गया है, वह इस न्यायालय के पांच माननीय न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का निर्णय है।[2024] 2 एस.सी.आर. 227 **सुशील कुमार पांडे एवं अन्य बनाम झारखंड उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय ने शिवनंदन सी.टी. एवं अन्य बनाम केरल उच्च न्यायालय [(2023) आईएनएससी 709)]** के मामले में 12 जुलाई, 2023 को निर्णय दिया। यह निर्णय उस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को पैराग्राफ '7' में बताता है और इस निर्णय का अनुपात उक्त निर्णय के पैराग्राफ '52' से '57' तक उभर कर आएगा। निर्णय के ये अंश नीचे उद्धृत हैं:-

> "**7.** 27 फरवरी 2017 को मौखिक परीक्षा आयोजित होने के बाद उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा उसने मौखिक परीक्षा में योग्यता मानदंड के रूप में वही न्यूनतम कट-ऑफ अंक लागू करने का निर्णय लिया जो लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए थे। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, प्रशासनिक समिति का विचार था कि चूँकि उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्तियाँ की जा रही थीं, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना आवश्यक था जिनके पास अपेक्षित व्यक्तित्व और ज्ञान हो, जिसे मौखिक परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित कट-ऑफ के समान कट-ऑफ निर्धारित करके सुनिश्चित किया जा सकता था। 6 मार्च 2017 को, केरल उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय

ने प्रशासनिक समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची भी उसी दिन प्रकाशित की गई।

x x x

52. परीक्षा की योजना और 2015 की परीक्षा अधिसूचना के साथ वैधानिक नियम ने याचिकाकर्ताओं में यह उम्मीद पैदा की होगी कि चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा की योजना में स्पष्ट शर्त के मद्देनजर मौखिक परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम कटऑफ की उम्मीद नहीं की होगी। याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त दोनों अपेक्षाएँ वैध हैं क्योंकि वे वैधानिक नियमों, परीक्षा की योजना और उच्च न्यायालय द्वारा जारी 2015 की परीक्षा अधिसूचना की मंजूरी पर आधारित हैं। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची तैयार करने के लिए खुद को कानूनी रूप से प्रतिबद्ध किया।

<u>क्या उच्च न्यायालय ने अपनी प्रतिबद्धता के संबंध में गैरकानूनी तरीके से काम किया है?</u>

53. उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने आशंका जताई कि लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार, भले ही मौखिक परीक्षा में उनका प्रदर्शन खराब रहा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर चयनित हो जाएंगे। प्रशासनिक समिति ने पाया कि ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती आम जनता के लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि उनके पास केवल "किताबी" ज्ञान है और व्यावहारिक बुद्धि का अभाव है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने मौखिक परीक्षा में न्यूनतम कट-ऑफ लागू करने का फैसला किया। प्रशासनिक समिति के फैसले को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने मंजूरी दे दी।

54. संविधान उच्च न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों का चयन करने का अधिकार देता है। उच्च न्यायालय, एक संवैधानिक और सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते, अपने प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करते समय अच्छे प्रशासन के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे प्रशासन के

सिद्धांतों के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक प्राधिकरण निष्पक्ष, सुसंगत और पूर्वानुमानित तरीके से कार्य करें।

55. उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की वास्तविक वैध अपेक्षा की निराशा व्यापक सार्वजनिक हित में थी - जिला न्यायाधीशों के पद के लिए व्यावहारिक बुद्धि वाले उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना। वास्तव में, यह सार्वजनिक हित में है कि हमारे पास भारतीय न्यायपालिका में सेवा करने वाले उपयुक्त उम्मीदवार हैं। हालाँकि, उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के मानदंड वैधानिक नियमों में निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक पेश करने के लिए 2017 में 1961 के नियमों में संशोधन किया था। संशोधित नियम 2 (सी) नीचे उद्धृत किया गया है:

"2. नियुक्ति की विधि - (1) सेवा में नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी:

[...]

(सी) सेवा में पच्चीस प्रतिशत पद बार के सदस्यों से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। भर्ती प्रतिस्पर्धी आधार पर होगी।लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा से मिलकर बनी परीक्षा। [...] मौखिक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 50 होंगे। मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।" (महत्व जोड़ा गया)

56. असंशोधित 1961 नियमों के तहत, उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा की गई थी कि वह लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करे, मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ की किसी आवश्यकता के बिना। इस प्रकार, चयनित उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करने के अपेक्षित पाठ्यक्रम से हटने का प्रशासनिक समिति का निर्णय असंशोधित 1961 नियमों के विपरीत है। यह भी

उजागर करना महत्वपूर्ण है कि मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कटऑफ की आवश्यकता मौखिक परीक्षा आयोजित होने के बाद शुरू की गई थी। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि मौखिक परीक्षा के लिए ऐसी आवश्यकता शुरू की जाएगी। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय का निर्णय याचिकाकर्ताओं के लिए अनुचित है और शक्ति का मनमाना प्रयोग है।

57. उच्च न्यायालय का निर्णय स्थिरता और पूर्वानुमेयता के परीक्षण को भी संतुष्ट करने में विफल रहता है क्योंकि यह स्थापित प्रथा का उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय ने 2013 और 2014 के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के पद पर चयन के लिए मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ की आवश्यकता नहीं लगाई। यद्यपि उच्च न्यायालय का औचित्य, जब अपने स्वयं के संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है, तो सम्मोहक है, यह वैधानिकता पर आधारित नहीं है। मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ लागू करने के उच्च न्यायालय के निर्णय ने याचिकाकर्ताओं की वास्तविक वैध अपेक्षाओं को निराश किया। चूंकि उच्च न्यायालय का निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर है और निष्पक्षता, स्थिरता और पूर्वानुमेयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए हम मानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

15. **के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य [(2008)** 3 एससीसी 512] के मामले में तीन माननीय न्यायाधीशों वाले इस न्यायालय का एक पूर्व निर्णय है जिसमें चयन प्रक्रिया के बीच में भर्ती मानदंड में परिवर्तन को अस्वीकार्य माना गया है। हम उक्त रिपोर्ट से उस निर्णय के पैराग्राफ '27' और '36' को नीचे उद्धृत करते हैं:-

"**27.** लेकिन जो नहीं किया जा सका वह दूसरा परिवर्तन था, साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों का मानदंड पेश करना। साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (ग्रेड II) के चयन के लिए पहले कभी नहीं अपनाए गए थे। वर्तमान चयन के संबंध में, प्रशासनिक समिति ने केवल प्रचलित पिछली प्रक्रिया को अपनाया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है पिछली प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक लागू करना था, मौखिक परीक्षा के लिए नहीं। हमने 24.7.2001 और 21.2.2002 के पिछले संकल्पों की उचित व्याख्या का

संदर्भ दिया है और माना है कि 30.11.2004 को जो अपनाया गया था वह केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक थे, साक्षात्कार के लिए नहीं। इसलिए, संपूर्ण चयन प्रक्रिया (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से मिलकर) पूरी हो जाने के बाद साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता को लागू करना, खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर होगा जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। इस न्यायालय के कई निर्णयों से हम इस दृष्टिकोण को पुष्ट करते हैं। उनमें से तीन का संदर्भ देना पर्याप्त है - **पी. के. रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ[1], उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत[2] संघ**, और **दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा[3] राज्य ।**

x x x

36. पूर्ण न्यायालय ने हालांकि, एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा साक्षात्कार में न्यूनतम अंकों के संबंध में एक नई आवश्यकता पेश की है, जो वारंटेड नहीं है और जो कार्यान्वयन के दौरान अपनाई गई व्याख्या के साथ भिन्न है।

वर्तमान चयन प्रक्रिया और पहले के चयनों के बीच कोई अंतर नहीं है। चूंकि पूर्ण न्यायालय ने प्रशासनिक समिति के दिनांक 30.11.2004 के संकल्प को मंजूरी दे दी है और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से युक्त चयन की पूरी प्रक्रिया को बनाए रखने का भी फैसला किया है, इसलिए वह साक्षात्कार में न्यूनतम अंकों की नई आवश्यकता को पेश नहीं कर सकता था, जिसका प्रभाव उन उम्मीदवारों को बाहर करने का था, जो अन्यथा चयन के लिए पात्र और उपयुक्त होते। इसलिए, हम मानते हैं कि साक्षात्कार के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत अपनाकर मेरिट सूची को संशोधित करने में पूर्ण न्यायालय की कार्रवाई अस्वीकार्य थी।

16. बाद में इसी दृष्टिकोण को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने **हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय** [(2008) 7 एससीसी 11] के मामले में लिया। बाद के एक फैसले में, **तेज प्रकाश पाठक और अन्य। - बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य** [(2013) 4 एससीसी 540] में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने के.

---

1 (1984) 2 SCC 141: 1984 SCC (L&S) 214

2 (1985) 3 SCC 721: 1985 SCC (L&S) 919

3 (1987) 4 SCC 646: 1988 SCC (L&S) 36: (1987) 5 ATC 148

मंजूश्री (सुप्रा) के मामले में लिए गए विचार से भिन्न विचार व्यक्त किया तथा मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने हेतु संदर्भित किया। बड़ी पीठ द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा जब तक **के. मंजूश्री (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित सिद्धांत को बड़ी पीठ द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता, तब तक हम उसी सिद्धांत से निर्देशित होते रहेंगे, क्योंकि "नियम में बीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता" यह सिद्धांत सेवा न्यायशास्त्र का अभिन्न अंग बन गया है।

17. श्री गुप्ता द्वारा उठाया गया अगला बिंदु यह है कि श्री दवे द्वारा जिन तीन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनका अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। उनका तर्क है कि उन तीन प्राधिकरणों में मौखिक परीक्षा में अंक देना विवाद का विषय था जबकि वर्तमान रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय प्रशासन ने समग्र अंक देने के मामले में मानदंड बढ़ाया है। श्री गुप्ता ने जिन प्राधिकरणों पर भरोसा किया है उनमें से एक **हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह एवं अन्य [(1974) 3 एससीसी 220]** है। उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 और 12 में इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि:-

> "**7.** वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 40 अभ्यर्थियों ने न्यूनतम 45% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनके नाम पहले से संदर्भित नियम 10(1) के अनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। यह विवादित नहीं है कि इस सूची में नाम की मात्र प्रविष्टि उम्मीदवार की नियुक्ति का अधिकार उसे नहीं देता है। विज्ञापन में कहा गया है कि 15 रिक्तियां भरी जानी हैं, लेकिन इससे भी उसे नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता है। ऐसा हो सकता है कि सरकार वित्तीय या अन्य प्रशासनिक कारणों से कोई रिक्तियां न भरे। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार, चाहे वह सूची में प्रथम स्थान पर क्यों न हो, को नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। सूची केवल राज्य सरकार को नियुक्तियां करने में मदद करने के लिए है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किन उम्मीदवारों के पास नियमों के तहत न्यूनतम योग्यताएं हैं। इसके बाद नियुक्ति के लिए चयन का चरण आता है, और यह विवादित नहीं है कि संविधान के तहत केवल राज्य सरकार ही नियुक्तियां कर सकती है। किसी विशेष उम्मीदवार की सिफारिश करने के लिए उच्च न्यायालय की भूमिका नहीं

होती है। राज्य सरकार द्वारा सूची के अनुसार उम्मीदवारों में से किसकी नियुक्ति की जाए, इस बारे में निर्णय लेने के बाद नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची उच्च न्यायालय को भेजी जाती है, फिर उसे ऐसे उम्मीदवारों को अपने द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करना होता है। जब रिक्तियों को भरा जाना है तो उच्च न्यायालय चयन सूची के अनुसार उम्मीदवारों के नाम भेजेगा और उन्हें रिक्तियों में नियुक्ति के लिए उस सूची में जिस क्रम में रखा गया है। इसलिए उच्च न्यायालय सरकार को यह सुझाव देने के अलावा कोई भूमिका नहीं निभाता है कि चयन सूची के अनुसार किसे नियुक्त किया जाना है और किस रिक्ति पर। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में लोक सेवा आयोग ने पहले 15 उम्मीदवारों की सूची भेजी थी क्योंकि आयोग को सूचित किया गया था कि 15 रिक्तियां हैं। उच्च न्यायालय ने भी अपने नियमित क्रम में नियुक्ति के लिए पहले 15 नाम सरकार को भेजे थे। इसके बाद हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने 4 मई, 1971 को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को इस प्रकार लिखा:

“मुझे उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के अंतिम आदेश संख्या 1678-1 जीएस, II-71/3802, दिनांक 22 अप्रैल, 1971 का संदर्भ लेने का निर्देश हुआ है, तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में प्रथम पंद्रह उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात,

राज्य सरकार ने यह विचार किया है कि यह उचित होगा कि केवल पहले सात उम्मीदवारों को ही हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में नियुक्त किया जाए और तदनुसार एक अधिसूचना जारी की गई है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार की राय में, केवल उन उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्होंने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि इससे सेवा में नियुक्तियों में न्यूनतम मानक बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह उल्लेख किया जा सकता है कि मई 1969 में आयोजित हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची में से अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त अंतिम उम्मीदवार ने 55.67% अंक प्राप्त किए।

राज्य सरकार को यह भी जानकारी मिली है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वयं पंजाब सरकार को सिफारिश की है कि पी.सी.एस. (न्यायिक शाखा) परीक्षा 1970 में आयोजित की गई थी, 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार, हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया निर्णय उन सिफारिशों के अनुरूप है जो उच्च न्यायालय ने 1970 में आयोजित परीक्षा के आधार पर पीसीएस (न्यायिक शाखा) में भर्ती के संबंध में पंजाब सरकार को दी थी, और दोनों मामलों में एक समान नीति स्पष्ट कारणों से वांछनीय होगी।

12. हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से डॉ सिंघवी ने तर्क दिया कि चूंकि भाग सी का नियम 8 प्रतिस्पर्धी परीक्षा में 45% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए पात्र बनाता है, इसलिए राज्य सरकार को एक नया नियम पेश करने का कोई अधिकार नहीं था, जिसके द्वारा वे नियुक्तियों को केवल उन लोगों तक सीमित कर सकते हैं जिन्होंने 55% से कम अंक नहीं लिए हैं। यह तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार ने चयन के लिए न्यूनतम 55% निर्धारित करने में मनमाना काम किया है और यह ऊपर उल्लिखित नियम के विपरीत है। इस तर्क का कोई महत्व नहीं है। नियम 8 न्यूनतम योग्यता वाले पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में एक कदम है, जिन्हें नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। सूची योग्यता के क्रम में तैयार की जाती है। रैंक में उच्चतर व्यक्ति को उस व्यक्ति से अधिक योग्य माना जाता है जो रैंक में निम्न है। यह कभी नहीं कहा जा सकता कि जो सूची में सबसे ऊपर है वह सूची में सबसे नीचे वाले के बराबर योग्यता रखता है। सिवाय इसके कि वे सभी एक सूची में उल्लिखित हैं, उनमें से प्रत्येक दूसरे की तुलना में योग्यता के एक अलग स्तर पर है। यही कारण है कि नियम 10(ii), भाग सी "नियुक्ति के लिए चयन" की बात करता है। यहां तक कि नियुक्तियों की संख्या के संबंध में राज्य सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चयन के उद्देश्य से सरकार द्वारा उच्च अंक निर्धारित करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे मामले में जहां कई योग्य उम्मीदवारों में से चयन द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, सरकार के लिए योग्यता के उच्च मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से एक ऐसा अंक निर्धारित करना खुला है जो अधिक पात्रता के लिए

आवश्यक अंक से बहुत अधिक है। जैसा कि पहले से संदर्भित मुख्य सचिव के पत्र में दिखाया गया है, उन्होंने चयन के लिए न्यूनतम 55% निर्धारित किया जैसा कि उन्होंने पिछले अवसर पर किया था। चयन के लिए 55% अंक निर्धारित करने में कोई मनमानी नहीं है, क्योंकि यह उच्च न्यायालय का विचार था, जिसे पहले पंजाब सरकार को भी सूचित किया गया था, जिस पर हरियाणा सरकार ने कार्रवाई करना उचित समझा। पंजाब सरकार द्वारा बाद में कम अंक निर्धारित करना हरियाणा सरकार के लिए अपना विचार बदलने का कोई कारण नहीं है। यह अनिवार्य रूप से प्रशासनिक नीति का मामला है और यदि हरियाणा राज्य सरकार सोचती है कि न्यायिक क्षमता के हित में प्रतियोगी परीक्षा में 55% से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाना चाहिए, तो 55% से कम अंक प्राप्त करने वालों को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि चयन उन उम्मीदवारों का भी किया जाए, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम से कम अंक प्राप्त किए हैं। हमारे विचार में उच्च न्यायालय यह सोचने में त्रुटि कर रहा था कि राज्य सरकार ने किसी तरह भाग सी के नियम 8 का उल्लंघन किया है।

18. श्री गुप्ता ने **राम शरण मौर्य और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले का भी हवाला दिया है। [(2021) 15 एससीसी 401]। इस निर्णय में यह माना गया है:-

"**72.** 1981 के नियमों के नियम 2(1)(x) के अनुसार, एटीआरई के योग्यता अंक ऐसे न्यूनतम अंक हैं जिन्हें सरकार द्वारा "समय-समय पर" निर्धारित किया जा सकता है। 1981 के नियमों के नियम 14 के खंड (सी) में यह प्रावधान है कि उम्मीदवार को "सरकार द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी"। इस प्रकार, 1981 के नियमों के तहत सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं में से एक एटीआरई को ऐसे न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण करना है, जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। एटीआरई 2018 के लिए दिशा-निर्देशों के पैरा 7 के विपरीत, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि एटीआरई 2018 उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 45% या 40% अंक (क्रमशः "सामान्य" और "आरक्षित" श्रेणियों के लिए) प्राप्त करने होंगे, एटीआरई 2019 को अधिसूचित करने वाले 1-12-2018 के जी.ओ. में

ऐसी कोई शर्त उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, एटीआरई 2018 के लिए दिशा-निर्देशों में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए गए थे, लेकिन 1981 के नियमों की यह आवश्यकता नहीं है कि ऐसी शर्त एटीआरई को अधिसूचित करने वाले साधन का हिस्सा होनी चाहिए। सौंपे जाने की प्रकृति के अनुसार, सरकार को "समय-समय पर" न्यूनतम अंक निर्धारित करने का अधिकार है। यदि इस शक्ति को इस शर्त के साथ सशर्त माना जाता है कि शर्त परीक्षा को अधिसूचित करने वाले साधन का हिस्सा होनी चाहिए, तो एटीआरई 2019 के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नियमों को इस तरह से पढ़ने से कुछ हद तक अतार्किक परिणाम सामने आएंगे। एक ओर, संबंधित नियम के लिए एटीआरई उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जबकि दूसरी ओर, कोई न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित नहीं होंगे। इसलिए संबंधित नियमों पर एक उचित निर्माण का तात्पर्य यह होगा कि सरकार को परीक्षा को अधिसूचित करने वाले साधन के साथ ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य उचित समय पर भी ऐसे न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने की शक्ति होनी चाहिए। उस स्थिति में, अगला सवाल यह होगा कि किस चरण में ऐसे न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए जा सकते हैं और क्या अनिवार्य रूप से ऐसे न्यूनतम योग्यता अंक परीक्षा से काफी पहले घोषित किए जाने चाहिए।

73. के. मंजूश्री [**के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2008**) 3 एससीसी 512: (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 841] और हेमानी मल्होत्रा [**हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय,** (2008) 7 एससीसी 11: (2008) 2 एससीसी (एल एंड एस) 203] ऐसे मामले थे जो न्यायिक सेवा में पदों को भरने के लिए किए गए चयन से संबंधित थे।इन मामलों में साक्षात्कार में कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं था साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किए जाने के कारण, कुछ अभ्यर्थी, जो अन्यथा अपने कुल अंकों के आधार पर चयन की श्रेणी में होते, स्वयं को अयोग्य पाते हैं। न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किए जाने के कारण, चयन प्रक्रिया शुरू होने या पूरी होने के बाद पहली बार साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किए जाने के कारण, इस न्यायालय ने इस प्रकार की प्रक्रिया को अनुचित पाया।

74. ये ऐसे मामले थे, जहां शुरू से ही साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित नहीं था। दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, नियम 14 के साथ नियम 2(1)(x) के अनुसार आवश्यकता यह है कि सहायक अध्यापक के रूप में चयन के लिए पात्र माने जाने के लिए अभ्यर्थी को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे। इस प्रकार, हमेशा यह माना जाता था कि कुछ न्यूनतम अर्हक अंक होंगे। सरकार ने 7-1-2019 के अपने आदेशों के आधार पर ऐसे न्यूनतम योग्यता अंकों की मात्रा या संख्या तय की थी। इसलिए, के. मंजूश्री [**के. मंजूश्री बनाम ए.पी. राज्य, (2008) 3 एससीसी 512**: (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 841] में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किए गए मामलों के विपरीत, जहां एक उम्मीदवार उचित रूप से यह मान सकता था कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों के बारे में कोई शर्त नहीं थी, और लिखित और मौखिक परीक्षा में अंकों का योग ही वह आधार होना चाहिए जिसके आधार पर योग्यता निर्धारित की जाएगी, तत्काल मामले में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं थी। उम्मीदवार को ATRE 2019 पास करना था और उसे यह पता होना चाहिए कि ATRE 2019 पास करने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए जाएंगे।

75. इसलिए, एक तरफ के. मंजूश्री [**के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**, (2008) 3 एससीसी 512: (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 841] में निर्धारित सिद्धांत और हेमानी मल्होत्रा [**हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय**, (2008) 7 एससीसी 11: (2008) 2 एससीसी (एल एंड एस) 203] में अपनाए गए सिद्धांत और दूसरी तरफ वर्तमान मामले की स्थिति के बीच मौलिक अंतर है।

76. अब हमारे सामने यह सवाल है कि क्या 7-1-2019 के आदेश द्वारा ऐसे न्यूनतम योग्यता अंकों के निर्धारण को केवल इसलिए रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा निर्धारण परीक्षा आयोजित होने के बाद किया गया था। इस समय, यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रमुख रिट याचिका में की गई मूल प्रार्थना 7-1-2019 के आदेश को रद्द करने की थी। इसके परिणामस्वरूप जो परिणाम हो सकता है वह यह है कि एटीआरई 2019 के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होंगे, जो नियम 14 के खंड (सी) के साथ पढ़े गए नियम 2(1)(x) के अधिदेश के विपरीत होगा। यह ठीक इसी कारण से प्रस्तुत

किया गया था कि एटीआरई 2018 के लिए उपलब्ध समान मानदंड एटीआरई 2019 के लिए अपनाया जाना चाहिए। इस प्रस्तुति को बल देने के लिए, यह तर्क दिया गया कि एटीआरई 2018 और एटीआरई 2019 में उपस्थित होने वाले शिक्षा मित्र एक समरूप वर्ग बनाते हैं और इसलिए, एटीआरई 2018 में उपलब्ध मानदंड को लागू किया जाना चाहिए। समरूपता के आधार पर इस तर्क पर पहले ही विचार किया जा चुका है और इसे खारिज कर दिया गया है।

77. यदि सरकार के पास समय-समय पर न्यूनतम योग्यता अंक तय करने की शक्ति है, तो नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परीक्षा समाप्त होने के बाद भी ऐसी शक्ति के प्रयोग में बाधा डाल सके, बशर्ते कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी द्वेष या दुर्भावना से प्रेरित न हो और सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा को खोजने के उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा हो। इस संबंध में, तत्काल मामला **एमसीडी बनाम सुरेंद्र सिंह [एमसीडी बनाम सुरेंद्र सिंह, (2019) 8 एससीसी** 67: (2019) 2 एससीसी (एलएंडएस) 464] और झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता [**झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता, (**2019) 20 एससीसी 178] में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। पहले मामले में, विज्ञापन के खंड 25 के तहत सौंपी गई शक्ति ने चयन बोर्ड को रिक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता अंक तय करने के लिए समान विवेकाधिकार भी प्रदान किया। इस शक्ति के प्रयोग की व्याख्या करते समय, इस न्यायालय ने पाया कि ऐसा "भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों के न्यूनतम मानक को सुनिश्चित करने के लिए" किया गया था। इसी प्रकार, झारखंड लोक सेवा आयोग [झारखंड लोक सेवा आयोग] में आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता, (2019) 20 एससीसी 178], पेपर III में परीक्षा समाप्त होने के बाद शक्ति का प्रयोग सही और न्यायोचित पाया गया।

78. यदि अंतिम उद्देश्य सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा का चयन करना है और न्यूनतम योग्यता अंक तय करने की शक्ति है, तो इस न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मरवाहा [**हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मरवाहा,** (1974) 3 एससीसी 220 : 1973 एससीसी (एल एंड एस) 488], **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रफीकुद्दीन** [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रफीकुद्दीन, 1987 सप एससीसी 401: 1988

एससीसी (एलएंडएस) 183], एमसीडी बनाम सुरेन्द्र सिंह [**एमसीडी बनाम सुरेन्द्र सिंह**, (2019) 8 एससीसी 67: (2019) 2 एससीसी (एलएंडएस) 464] और झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता [झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता, (2019) 20 एससीसी 178], हमें 7-1-2019 के आदेश के तहत 65-60% पर कट-ऑफ तय करने में कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं मिला। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य बताते हैं कि इस कट-ऑफ के साथ भी योग्य उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से दोगुनी से भी अधिक है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि परीक्षा की प्रकृति और कठिनाई के स्तर, उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर विचार करने के बाद, संबंधित अधिकारियों के पास एक मानदंड चुनने की अपेक्षित शक्ति है जो सर्वोत्तम उपलब्ध शिक्षकों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है। ऐसा प्रयास निश्चित रूप से आरटीई अधिनियम के तहत उद्देश्यों के अनुरूप होगा।

79. परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान मामले में, परीक्षा समाप्त होने के बाद भी 65-60% पर कट-ऑफ का निर्धारण अनुचित नहीं कहा जा सकता है। हमारे विचार से, सरकार इस तरह के कट-ऑफ को तय करने के अपने अधिकारों के भीतर थी।

19. इन दो रिट याचिकाओं में, हालांकि, हम केवल "नियम के बीच में परिवर्तन" सिद्धांत से चिंतित नहीं हैं। लेकिन उस आधार पर भी, श्री गुप्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का अनुपात अलग-अलग है। **तेज प्रकाश पाठक (सुप्रा)** में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **के. मंजूश्री (सुप्रा)** के मामले में फैसले की सत्यता पर संदेह व्यक्त करने के लिए **सुभाष चंद्र मारवाह (सुप्रा)** के मामले में फैसले का हवाला दिया था। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, के का अनुपात **के. मंजूश्री (सुप्रा)** अभी भी मैदान में हैं। **राम शरण मौर्य (सुप्रा)** के मामले में, भर्ती का मार्गदर्शन करने वाले नियमों ने सरकार को विशेष चयन प्रक्रिया के अर्हक अंकों को ऐसे न्यूनतम अंक निर्धारित करने का अधिकार दिया, जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं। इस निर्णय में, निर्णय स्वयं **के. मंजूश्री (सुप्रा)** और **हेमानी मल्होत्रा (सुप्रा)** में इस न्यायालय के निर्णयों पर ध्यान देता है और पाता है

कि उस मामले में शामिल पदों पर चयन का तरीका **के. मंजूश्री (सुप्रा)** और **हेमानी मल्होत्रा (सुप्रा)** में अनुचित पाए गए तरीके से अलग था।

20. हम 2001 के नियमों के नियम 18 से पाते हैं कि कट-ऑफ अंक निर्धारित करने का कार्य उच्च न्यायालय में निहित है, लेकिन यह परीक्षा शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए। इस प्रकार, हम ऐसी स्थिति से भी निपट रहे हैं जिसमें उच्च न्यायालय प्रशासन चयन प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले नियमों से विचलित होने की कोशिश कर रहा है। हमने इस तरह के विचलन के लिए उच्च न्यायालय के तर्क पर विचार किया है, लेकिन वैधानिक नियमों से इस तरह का विचलन अस्वीकार्य है। हम उच्च न्यायालय प्रशासन के तर्क को स्वीकार करते हैं कि चयनित सूची में शामिल होने वाले उम्मीदवार को संबंधित पद पर नियुक्त होने का कोई निहित कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर उम्मीदवार की अनुपयुक्तता पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना नियुक्ति से रोकना भर्ती नियमों का उल्लंघन है, तो ऐसी कार्रवाई अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी और इसे मनमाना माना जाएगा। पूर्ण न्यायालय संकल्प के पीछे कारण यह है कि बेहतर उम्मीदवार ढूंढे जाने चाहिए। यह नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए गए उम्मीदवार के अनुपयुक्त पाए जाने से अलग है

21. चयनित सूची बनाने के लिए 2001 के नियमों के नियम 21 में निहित शर्तों का उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा विवादित संकल्प को अपनाने में उल्लंघन किया गया। **राम शरण मौर्य (सुप्रा)** के मामले में निर्णय का अनुपात इस मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हम ऐसा क्यों मानते हैं

22. श्री गुप्ता का रुख यह है कि उक्त नियमों या विनियमों के तहत उच्च कुल चिह्न लागू करना वर्जित नहीं है। हालाँकि, हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। "कुल" शब्द का अर्थ ही दो या अधिक प्रक्रियाओं का संयोजन है और यदि कुल पर पहुँचने की प्रक्रिया लागू नियमों में निर्धारित की गई है, तो कुल चिह्न बनाने के तरीके में बदलाव करने के लिए अलग मानदंड नहीं बनाया जा सकता है।

23. जहां तक **के. मंजूश्री (सुप्रा)** के मामले में निर्णय के अनुपात का सवाल है, वह प्राधिकरण बीच में नियमों में बदलाव से संबंधित है। हमारे सामने मौजूद मामले में, हमारी राय में, अगर उच्च न्यायालय को व्यक्तिगत उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद चयन मानदंड बदलने की अनुमति दी जाती है, तो यह निर्धारित नियमों में बदलाव माना

जाएगा। हम **शिवनंदन सी.टी. (सुप्रा)** के मामले में संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ संख्या 14 और 15 का संदर्भ देते हैं, जो इस बिंदु पर कानून के सिद्धांत को निर्धारित करता है। हम इस प्राधिकरण से उक्त अंशों को नीचे प्रस्तुत करते हैं:-

> "**14.** मौखिक परीक्षा के लिए कट-ऑफ निर्धारित करने का उच्च न्यायालय का निर्णय प्रशासनिक समिति द्वारा 27 फरवरी 2017 को लिया गया था, जिसके बाद मौखिक परीक्षा 16 से 24 जनवरी 2017 के बीच आयोजित की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कई खामियां हैं। सबसे पहले, उच्च न्यायालय का निर्णय नियम 2(सी)(iii) के विपरीत था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी; दूसरे, 13 दिसंबर 2012 को उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित योजना में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि मौखिक परीक्षा के संबंध में कोई कट ऑफ अंक नहीं होगा; तीसरा, 30 सितंबर 2015 की उच्च न्यायालय की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया केवल बार के सदस्यों की प्रैक्टिस की अवधि के आधार पर की जाएगी, यदि उम्मीदवारों की संख्या अनावश्यक रूप से बड़ी हो; और चौथा, मौखिक परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित करने का निर्णय मौखिक परीक्षा आयोजित होने के बहुत बाद जनवरी 2017 के महीने में लिया गया था।
>
> **15.** उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तेज प्रकाश पाठक (सुप्रा) में संदर्भित व्यापक संवैधानिक मुद्दा वर्तमान मामले के तथ्यों पर निर्णय लेने योग्य नहीं होगा। स्पष्ट रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय वर्तमान में नियम 2 (सी) (iii) के विपरीत था। वास्तव में, सुनवाई के दौरान हमें इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि नियमों को 2017 में संशोधित किया गया है ताकि मौखिक परीक्षा में 35% अंकों की कट ऑफ निर्धारित की जा सके, हालांकि 30 सितंबर 2015 को चयन की वर्तमान प्रक्रिया शुरू होने पर यह प्रचलित कानूनी स्थिति नहीं थी। उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति मौखिक परीक्षा के लिए कट ऑफ लगाने का निर्णय लिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपेक्षित व्यक्तित्व वाले उम्मीदवार न्यायिक पद ग्रहण करें। प्रशासनिक समिति का यह दृष्टिकोण चाहे कितना भी सराहनीय क्यों न रहा हो, इस तरह के बदलाव के लिए

नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता होगी, जो कि ऊपर उल्लेखित नियमों के बहुत बाद में आया। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां उच्च न्यायालय के नियम या योजना मौन थी। जहां वैधानिक नियम मौन हैं, उन्हें प्रशासनिक आदेश द्वारा नियमों के उद्देश्य और भावना के अनुरूप तरीके से पूरक बनाया जा सकता है।

24. इस प्राधिकरण का अनुपात इस मामले के तथ्यों में पूरी तरह लागू होता है। उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से यह दलील कि नियम 14 उन्हें चयन प्रक्रिया समाप्त होने और अंक घोषित होने के बाद चयन मानदंडों को बदलने की अनुमति देता है, उक्त प्रावधान का उचित विवरण नहीं है। हमारी राय में, उक्त नियम उच्च न्यायालय प्रशासन को विशेष मामलों में किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता और पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांगकर अधिकार देता है। उच्च न्यायालय प्रशासन 2001 के नियमों में निर्दिष्ट चयन मानदंडों से विचलन करने के लिए एक व्यापक निर्णय लेने के लिए इस नियम की सहायता नहीं ले सकता है। नियम 14 की सामग्री में उपयुक्तता या पात्रता का आकलन करने में एक व्यक्तिगत उम्मीदवार की सत्यापन प्रक्रिया का सार है।

25. हम, तदनुसार, उच्च न्यायालय को उन उम्मीदवारों के लिए सिफारिश करने का निर्देश देकर दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति देते हैं जो योग्यता या चयन सूची के अनुसार सफल हुए हैं, मौजूदा अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव को लागू किए बिना, जिसके अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को 50 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2023 के पूर्ण न्यायालय संकल्प का वह भाग जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि केवल वे अभ्यर्थी ही जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होंगे जिन्होंने कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं, को रद्द किया जाता है।

26. हम उम्मीद करते हैं कि इस निर्णय के संदर्भ में अनुशंसा का प्रयोग यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जाएगा।

27. हमें अभियोग आवेदनों को संबोधित करने का कोई कारण नहीं मिलता है क्योंकि यह निर्णय संपूर्ण अनुशंसा प्रक्रिया को कवर करेगा।

मामले का परिणाम: रिट याचिकाएँ स्वीकृत

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।